



अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ
Atal Bihari Vajpayee Medical University, U.P., Lucknow

14

पत्रांक 1172 MBBS-13(2)/2023/ABVMU

दिनांक 30/6/23


To,

The Principal,
Hind Institute of Medical Sciences,
Barabanki

Letter of Intent

“As per the approval of the Hon'ble Vice Chancellor, Atal Bihari Vajpayee Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow, The **Hind Institute of Medical Sciences, Barabanki** is hereby issued a letter of Intent to start **MBBS Course** with an annual intake capacity of total **100+150 Seat Increase=250 (One Hundred + One Hundred Fifty Seat Increase = Two Hundred Fifty) Seats** for the academic **Session 2024-25**, subject to grant of permission by the National Medical Commission Under section 26 and 28 of the NMC Act, 2019 (This Letter is valid for three academic years starting from Academic Session 2024-25).

This letter is being issued by Atal Bihari Vajpayee Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow with the condition that if any adverse fact is observed in during verification and enquiry of land, building, facilities, infrastructure and manpower etc. this letter will be deemed as cancelled without any further notice.


30/6/23
(Udai Singh)
Registrar

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Principal Secretary, Medical Education Section-4, Government of Uttar Pradesh
2. The Director General, Medical Education and Training, 6th Floor, Jawahar Bhawan, Lucknow.
3. The Finance Officer, Atal Bihari Vajpayee Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow
4. P.S. To Vice Chancellor, for the kindly Information of Hon'ble Vice Chancellor.

Registrar



अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ०प्र०
Atal Bihari Vajpayee Medical University, Lucknow, U.P.

L.No. 27 / Med / ABVMU / 2021
दिनांक : 22 / 09 / 2021

To
The Manager
Hind Institute of Medical Sciences,
Safedabad, Barabanki,
Lucknow.

Letter of Consent/Intent

On the basis of the report of the local inquiry Committee the Atal Bihari Vajpayee Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow has agreed, in principle, to affiliate Hind Institute of Medical Sciences, Barabanki for the starting of MBBS Course with an annual intake of 100 (One Hundred) seats for the academic session 2021-22, subject to grant of permission by the National Medical Commission under / Section 26 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019).

This Letter of consent/Intent shall be valid for processing of application for three academic years from the date of issue.



(Madan Singh Garbyal)
Registrar

L. No. 27 / Medical / ABVMU / 2021

dated: 22 / 09 / 2021

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. The Addl. Chief Secretary, Medical Education Section-4, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. The Director General Medical Education and Training, 6th Floor, Jawahar Bhawan, Lucknow.
3. The Finance Officer, Atal Bihari Vajpayee Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow
4. P.S. to Vice Chancellor for the kind information of Hon'ble Vice Chancellor.


Registrar

डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

ख्या : लो०अ०वि०/सम्ब०/2018/970

दिनांक : 30.05.2018

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में गाननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 30-05-2018 के अनुपालन में हिन्दू इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रेलवे क्रॉसिंग, सफेदाबाद, बाराबंकी को आर्युविज्ञान संकाय के अन्तर्गत एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्वयंसेवकित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2017-18 से सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

1. संस्था इण्डियन मेडिकल काउन्सिल के प्राविधान के अनुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा तथा उनकी निरन्तरता सुनिश्चित करेगी।
2. संस्था उ०प्र० शासन एवं इण्डियन मेडिकल काउन्सिल, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का माध्यम/विधि के सम्बन्ध में इण्डियन मेडिकल काउन्सिल, नई दिल्ली तथा उ०प्र० शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
3. संस्था इण्डियन मेडिकल काउन्सिल, नई दिल्ली/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० तथा विश्वविद्यालय को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एम०सी०आई रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
5. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या: 2851/सत्तर-2-2003-15(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
6. संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
7. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनिधमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही विधानानुसार की जायेगी।
8. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित पत्रों एवं सूचनाओं के माध्यम पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों/सूचनाओं के अस्तित्व पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
9. महाविद्यालय द्वारा गानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार-कार्ड, पैन कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
10. उ० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में गानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
11. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनिधमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
12. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011, दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी। संस्था/महाविद्यालय द्वारा गानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों को निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी। संस्था को AISHE की वेबसाइट पर प्रतियर्थ DCA-11 से सम्बन्धित सूचनाएं अपलोड करना अनिवार्य है।

भवदीय

डॉ० (विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
3. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. पर्यवेक्षक, हिन्दू इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रेलवे क्रॉसिंग, सफेदाबाद, बाराबंकी।
5. प्रभार निगन्त्रण, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
6. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनाार्थ।
7. प्रमाणित, ई०सी०पी० रोल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कॉलेज लॉग-इन पर अपलोड कराये जाने हेतु।

कुलसचिव

डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

संख्या : लो०आ०वि०/सम्ब०/2016/10444

दिनांक : 22 | 9 | 2016

विषय :
उपबन्धक,
हिन्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स,
सफेदाबाद, साराबंकी।

विषय : संस्थान में एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रह्लाद,

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा 37(2) में उल्लिखित प्रावधानों के क्रम में कुलपति गहोदय के आदेशों के अनुपालन में हिन्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स, सफेदाबाद, साराबंकी को स्नातक स्तर पर आयुर्विज्ञान संकाय के अन्तर्गत एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में 100 सीट हेतु स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सत्र 2015-16 (एक वर्ष) हेतु संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित कमियों एवं प्रतिबन्धों के अर्धन सम्बद्धता प्रदान किया जाता है:-

1. संस्था इण्डियन मेडिकल काउन्सिल के प्राविधान के अनुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा तथा उनकी निरन्तरता सुनिश्चित करेगी।
 2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में इण्डियन मेडिकल काउन्सिल/शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 3. संस्था इण्डियन मेडिकल काउन्सिल, नई दिल्ली/गहानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० तथा विश्वविद्यालय को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं शिक्षकों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
 4. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एम०बी०बी०आई रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त की कराये जायेगी।
 5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिणियमावली/अध्यादेश तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गता अन्य आदेशों एवं सुसंगत शासनादेशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 6. शासनादेश के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति, अनुबन्ध पत्र एवं बैंक के माध्यम से वेतन का भुगतान तथा एम०बी०बी०एस० की कटौती शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
- अनुमोदित अध्यापकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने का रुध करे। जिससे विश्वविद्यालय द्वारा उनका शैक्षिक सत्यापन किया जा सके एवं निर्देशित किये जाने पर उन्हें विश्वविद्यालय में उपस्थित करना होगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संस्था निधन्त्रक/वित्त अधिकारी/उप कुलसचिव परीक्षा।
2. प्राचार्य, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का रुध करे।



कुलसचिव

डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

ख्या : लो०अ०वि०/सम्ब०/2015/१५५५

दिनांक : 14. 4 . 2015

सेवा में,

प्रबन्धक,
हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज,
सफेदाबाद, बाराबंकी।


विषय : संस्थान में एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्यन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा 37(2) में उल्लिखित प्रावधानों के क्रम में कुलपति महोदय के आदेशों के अनुपालन में हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, सफेदाबाद, बाराबंकी को स्नातक स्तर पर आयुर्विज्ञान संकाय के अन्तर्गत एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में 100 सीट हेतु स्ववित्तप्राप्तित्त प्रदान के अन्तर्गत सत्र 2014-15 हेतु संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित कमियों एवं प्रतिबन्धों के अर्थात् सम्बद्धता प्रदान किया जाता है-

1. संस्था इण्डियन मेडिकल काउन्सिल के प्राविधान के अनुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा तथा उनकी निरन्तरता सुनिश्चित करेगी।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्यन्ध में इण्डियन मेडिकल काउन्सिल/शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था इण्डियन मेडिकल 'काउन्सिल, नई दिल्ली/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० तथा विश्वविद्यालय को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एम०सी०आई रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त की करायी जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनिष्ठावली/अध्यादेश तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अन्य आदेशों एवं सुसंगत शासनादेशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. शासनादेश के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति, अनुबन्ध पत्र एवं बैंक के माध्यम से वेतन का भुगतान तथा सी०पी०एम० की कटौती शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
7. अनुमोदित अध्यापकों का वायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करे जिससे विश्वविद्यालय द्वारा उनका भौतिक सत्यापन किया जा सके एवं निर्देशित किये जाने पर उन्हें विश्वविद्यालय में उपस्थित करना होगा।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परीक्षा नियन्त्रक/वित्त अधिकारी/उप कुलसचिव परीक्षा।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करे।



कुलसचिव

डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद

दिनांक : 01.02 2014

संख्या : लो०आ०वि०/सम्ब०/2014/1362

सेवा में,

आचार्य,

हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज,
रेलवे कारिंग, सफेदाबाद, बाराबंकी।

विषय : संस्थान को स्नातक स्तर पर आयुर्विज्ञान संकाय के अन्तर्गत एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनुसचिव चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 3023/71 2 13-एन-37/2007 दिनांक 22.11.2013 के क्रम में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा 37(2) के अधीन हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, रेलवे कारिंग, सफेदाबाद, बाराबंकी को स्नातक स्तर पर आयुर्विज्ञान संकाय के अन्तर्गत एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु सम्बद्धता की अनुमति प्रदान की जाती है-

1. संस्था निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रपत्र की में इंगित समस्याओं एवं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पत्र दिनांक 20.06.2013 में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण कर लेगा।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि की छूटों से लेंगी तथा मेडिकल कालेज में प्रदेश के माध्यम/विनिर्गत संस्थानों में शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं शिक्षकों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में राग्य-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एम०सी०आई० रेजुलेशन के आधार पर निर्धारित पटन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुरंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परीक्षा नियन्त्रक/वित्त अधिकारी/उप कुलसचिव परीक्षा।

2. प्राचार्य, ई०डी०पी० रेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कर्तव्य करें।



कुलसचिव



डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद

संख्या 05278-245957
फैजाबाद 05278-248123

संख्या : लो०अ०वि०/संघ०/2012/5/93

दिनांक : २५ अगस्त, 2012

सेवा में,

चेयरपर्सन,
हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज,
सफेदाबाद, वाराणसी।


विषय : संस्थान को स्नातक स्तर पर आयुर्विज्ञान संकाय के अन्तर्गत एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु कक्षा संचालन हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनुसूचित चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 1790/71-2-12-एन-37/2007 दिनांक 10 जुलाई, 2012 के क्रम में भुझसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) के धारा-37(2) के अधीन हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, सफेदाबाद, वाराणसी का स्नातक स्तर पर आयुर्विज्ञान संकाय के अन्तर्गत एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु सम्बद्धता की अनुमति प्रदान की जाती है-


1. संस्था निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रपत्र वी में इंगित सभस्त कमियों एवं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पत्र संख्या- एम०सी०आई०-34(41)/2010-मेड/8748, दिनांक 07.05.2011 में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगी।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था मद्दानितक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० को प्रवेशित अन्यथियों एवं रिकितयों की सूचना नियमानुसार उनक द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समत-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एम०सी०आई० रेगुलेशन के आधार पर निर्धारित परत-दिनांक के अनुसार ही करायी जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुस्तगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय


सहायक कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परीक्षा नियन्त्रक।
2. निर्यात अधिकारी।
3. सहायक कुलसचिव परीक्षा।



सहायक कुलसचिव